सिविल वाद (प्रोबेट) में निर्णय का शीर्ष

न्यायालय, जिला न्यायाधीश–प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0–तृतीय, पटना

स्वत्व (प्रोबेट) वाद सं0 –20/2005
जिला–पटना

स्वत्व (प्रोबेट) वाद सं0 –20/2005
सी0आई0एस0 संख्या–4870/2014

अभिषेक प्रकाश एवं अन्य

.... आवेदकगण(वादीगण)

बनाम

स्टेट ऑफ श्रीचन्द प्रसाद

.... विपक्षी

आवेदकगण (वादीगण) की ओर से – श्री प्रकाश कुमार, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से– श्री इन्द्रदेव नारायण, विद्वान अधिवक्ता
इंटरभेनर (उदय कुमार) की ओर से–श्री नीतीश कुमार
श्री निशांत कुमार, विद्वान अधिवक्त

उपस्थित :–

राकेश कुमार–1,
जिला न्यायाधीश–प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई–तृतीय,
पटना।

दिनांक –22 जुलाई, 2026

आदेश

1. मूल आवेदिका सुलोचना गुप्ता, डौली गुप्ता एवं अनिता गुप्ता के द्वारा दाखिल प्रबोट वाद 150/2004 जो दाखिल किया गया था उसी के आधार पर यह स्वत्व वाद संख्या 20/2005 दर्ज किया गया। आवेदिका सुलोचना गुप्ता की मृत्यु के पश्चात उनके कानूनी वारिस प्रतिस्थापित वादी संख्या–1 अभिषेक प्रकाश, विवेक प्रकाश एवं रंजनी गुप्ता प्रतिस्थापित किये गये। मूल आवेदिका

सिविल वाद (प्रोबेट) में निर्णय का शीर्ष

न्यायालय, जिला न्यायाधीश–प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0–तृतीय, पटना

स्वत्व (प्रोबेट) वाद सं0 –20/2005

सुलोचना गुप्ता, डौली गुप्ता एवं अनिता गुप्ता ने प्रोबेट वाद इस आशय का दाखिल किया कि श्रीचंद प्रसाद (बसीयतकर्ता) के द्वारा दिनांक 03.06.2004 को निबंधित बसीयत जो किया है और प्रोबेट वाद की अनुसूची–1 में वर्णित संपत्ति के संबंध में यह प्रोबेट वाद लाया गया है।

2. आवेदकगण का अपने प्रोवेट आवेदन दिनांक 05.10.2004 में कथन है कि मूल आवेदिका सुलोचना गुप्ता एवं डौली गुप्ता बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद की पुत्रबधु एवं आवेदिका संख्या–3 अनिता गुप्ता बसीयतकर्ता की पौत्रबधु हैं। बसीयतकर्ता की मृत्यु 03.06.2004 को पेठिया बाजार फुलवारीशरीफ, जिला–पटना में हो गई। प्रोवेट वाद के अनुसूची–1 में वर्णित भूमि बसीयतकर्ता अपने आमदनी से खरीद किया उसी के संबंध में दिनांक 30.03.2004 को बसीयतकर्ता ने आवेदिकागण को बसीयत कर दिया। मृतक श्रीचंद प्रसाद 30.03.2004 को बीमारी के कारण चेक पर स्वस्थ होने की स्थिति में चेक पर हस्ताक्षर करके रख दिया जिसे प्रकाश कुमार से पैसा निकलवाते थे। आगे आवेदन की कंडिका 4 में कहते हैं कि बसीयतकर्ता को तीन पुत्र धर्म प्रकाश गुप्ता, विनय प्रकाश गुप्ता और भानु प्रकाश गुप्ता हुये। बसीयतकर्ता की मृत्यु बुढ़ापे के कारण हो गई। मूल आवेदिकागण श्रीचंद प्रसाद की पिता की तरह सेवा करते थे। इसलिए श्रीचंद प्रसाद ने एक निबंधित बसीयतनामा प्रोवेट आवेदन के अनुसूची–1 में वर्णित भूमि के संबंध में दिनांक 30.03.2004 को मूल वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया। श्रीचंद प्रसाद ग्राम पेठिया बाजार, थाना फुलवारीशरीफ, जिला पटना जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहते थे। दिनांक 30.03.2004 को निबंधित बसीयतनामा जो आवेदकगण के नाम बिना किसी दवाब एवं भय के निष्पादित किया वह श्रीचंद प्रसाद का अंतिम बसीयत है। आगे यह भी अभिवचन है कि श्रीचंद प्रसाद के निर्देश पर

दस्तावेज लेखक ललन प्रसाद ने तैयार किया और उसे पढ़कर श्रीचंद प्रसाद को सुना दिया और पूर्ण रूप से समझकर विनोद कुमार, मो0 शफी एवं अनुप कुमार के समक्ष अपना अंगूठे का निशान बना दिये जो निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो 10.05.2004 को निबंधित हुआ। आगे यह भी अभिवचन है कि आवेदिकागण आवेदन के अनुसूची–1 में वर्णित संपत्ति पर उनका कब्जा है इस तरह किसी अन्य को विरोध करने का अधिकार नहीं है। आगे कंडिका–9 में कहते हैं कि श्रीचंद प्रसाद के नजदीकी संबंधी विनय प्रकाश गुप्ता, भानु प्रसाद गुप्ता एवं सुषमा गुप्ता पुत्रबधु हैं। प्रोवेट वाद के अनुसूची–1 में वर्णित भूमि पर जो उन्हें निबंधित बसीयत दिनांक 30.03.2004 के आधार पर कब्जा प्राप्त हुआ। आवेदकगण श्रीचंद प्रसाद का अंतिम संस्कार, अनुष्ठान इत्यादि किया जिसमें कुल 15000/– रुपया खर्च आया। आगे यह अभिवचन है कि बसीयत में दी गई संपत्ति का बाजार मूल्य दस लाख रुपया है। आवेदकगण द्वारा अन्य कोई प्रोवेट आवेदन इस आवेदन के अतिरिक्त दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिकागण ने बसीयतकर्ता के पक्ष में किये गये बसीयत दिनांक 30.03.2004 के आधार पर प्रोवेट पत्र निर्गत करने का निवेदन करती हैं।

3. विपक्षीगण 18.07.2005 को अपना लिखित कथन दाखिल किया जिसके आधार पर प्रोवेट वाद संख्या 150/2004 को विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 16.09.2005 को स्वत्व वाद में परिवर्तित किया गया। उदय कुमार गुप्ता जो बसीयतकर्ता के पुत्री के नाती हैं, आवेदन दाखिल कर पक्षकार बनने का आवेदन दिया, जिसे आवेदकगण के द्वारा स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात उन्हें केविटर (लिखित बयान) दाखिल करने का समय दिया गया वे अपना लिखित कथन दाखिल किया है।

4. विपक्षीगण प्रेम प्रकाश गुप्ता, अमर प्रकाश गुप्ता, शांति प्रकाश गुप्ता, पिता–स्व0

श्रीचंद प्रसाद द्वारा 18.07.2005 को लिखित कथन दाखिल करते हुए कथन किया है कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार के रूप में केवियटेर का नाम नहीं दिया गया है। केवियेटर के द्वारा स्वत्व विभाजन वाद संख्या 108/2005 आवेदकगण के पति के विरूद्ध दाखिल किया गया है जिसमें वे प्रतिवादी हैं और उन्होंने जब विभाजन वाद में लिखित बयान दाखिल किया और उसमें प्रोवेट वाद का जिक्र किया, तत्पश्चात केवियेटर के द्वारा प्रोवेट वाद का निरीक्षण कर यह लिखित बयान दाखिल किया। तत्पश्चात आवेदकगण को धोखे की जानकारी हुई। आवेदकगण के पति एकदूसरे के मेल में हैं और बनावटी, छद्म बसीयत तैयार किया है। आगे उनका यह भी अभिवचन है कि कैवियट (लिखित बयान) दाखिल किया है जिसके अंत में एक वंशावली दी गई है जिसके अनुसार श्रीचंद प्रसाद की तीन शादी थी। पहली पत्नी का नाम इन्द्रासनी देवी था, उन्हें एक पुत्री धर्मशीला देवी प्रति रामानंद गुप्त हुई। द्वितीय पत्नी शिवलगनी देवी हुई जिसे तीन पुत्र है जो इस वाद के कैवियटर हैं और विमला देवी पुत्री हुई। तीसरी पत्नी समुद्री देवी से तीन पुत्र हुए जो आवेदकगण संख्या–1 वो 2 के पति और धर्म प्रकाश गुप्त भी हुए, जिनके पुत्र आनंद प्रकाश गुप्ता हैं, जिनकी पत्नी आवेदिका संख्या–3 हैं। तीसरी पत्नी से भी एक पुत्री आशा देवी हुई। आवेदकगण और उनके पति द्वारा सही तथ्यों को छिपाकर केवल तीन व्यक्ति को निजी संपत्ति के रूप में दिखाया गया है। आगे यह भी अभिवचित करते हैं कि स्व0 श्रीचंद प्रसाद स्वतंत्रा सेनानी थे और पेंशन प्राप्त करते थे, वे फुलवारीशरीफ के मुखिया भी थे। वे अपने सभी पुत्रों एवं पुत्रीगण को बराबर रूप से प्यार करते थे। वे अपने इच्छा से कभी आवेदकगण के पति के साथ और कभी केवियटरगण के साथ अपने इच्छा से रहते थे। वे पढ़े–लिखे व्यक्ति थे। आगे यह भी अभिवचन है कि वसीयत पर उनका निशान है उनका उस पर हस्ताक्षर नहीं है और यह स्पष्टीकरण दिया

गया है कि बूढ़े होने के कारण लिखने में सक्षम नहीं थे। तथाकथित वसीयत दिनांक 30.03.2004 का है जिस पर बसीयतकर्ता का निशान है। उनका खाता इलाहाबाद बैंक, फुलवारीशरीफ में था और 01.04.2004 को अपने मित्र प्रो0 सहदेव लाल के नाम से चेक निर्गत किया है। दिनांक 12.05.2004 को उन्होंने आवेदक संख्या–1 के पुत्र विवेक प्रसाद के नाम से हस्ताक्षर से चेक निर्गत किया था। लेकिन 30.03.2024 के बसीयत पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है। यह सत्य है कि वे बुढे थे, लेकिन यह कहना असत्य है कि वे हस्ताक्षर करने में समर्थ नहीं थे। यह सत्य है कि उनके हस्ताक्षर में स्वाभाविक बदलाव हो सकता है लेकिन वे हस्ताक्षर करने में समर्थ नहीं थे यह बिल्कुल गलत है। संपूर्ण वसीयत जाली एवं बनावटी दस्तावेज है और निबंधन कार्यालय के कर्मचारीगण को मेल में लाकर गलत पहचानकर्ता, अनुप्रमाणक साक्षी को मेल में लाकर तथाकथित बसीयत 30.03.2004 को निष्पादित करा लिया, जिसका निबंधन निष्पादन काफी दिनों बाद कराया है। तथाकथित बसीयत पर न तो बसीयतकर्ता का और न ही उनका निशान है किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर तैयार कराया है, तथाकथित बसीयत बनावटी, जाली, मनगढ़न्त है। प्रोवेट आवेदन की कंडिका 4 में किया गया कथन बिल्कुल गलत है। श्रीचंद प्रसाद को 6 लड़के और तीन पुत्री थे जिसका पूर्व में वर्णन किया गया है। यह बिल्कुल गलत है कि आवेदकगण ही उनके सेवा करते थे। वे कभी आवेदकगण एवं कभी केवियटर के साथ रहते हैं। उन्होंने 30.03.2024 को बसीसत को निष्पादित नहीं किया। उस बसीयत के पहचानकर्ता गांव से 2 कि0मी0 के दूरी के है जबकि ग्रामीण में बहुत से उनके शुभचिंतक थे। उनके सबसे नजदीकी प्रो0 सहदेव लाल पड़ोसी थे लेकिन आवेदकगण और उनके पति मेल में आकर संपत्ति को हड़पने हेतु बनावटी तथाकथित बसीयत तैयार कराया है। इस तथ्य को आवेदकगण ने प्रोवेट आवेदन में छिपा लिया कि

केवियटर उनके पति के नजदीकी रिश्तेदार हैं। आगे यह भी अभिवचन करते हैं कि कभी भी मृतक श्रीचंद प्रसाद ने दस्तावेज लेखकर को बसीयत को ड्राफ्ट करने का निर्देश नहीं दिया था और न ही निशान है। अनुप्रमाणक साक्षी मो0 शफी और अनुज कुमार आवेदकगण के पति के आदमी हैं। निबंधन कार्यालय के कर्मचारीगण को मिलकर बसीयत पर श्रीचंद प्रसाद का फोटो लगा दिया गया, उपरोक्त मकान जिसका बसीयत दिया गया है उस पर केवियटर एवं आवेदकगण के पतिगण का कब्जा है। आगे उनका अभिवचन है कि आवेदिकागण के पतिगण धोखेबाज प्रकृति के व्यक्ति हैं। मृतक के खाता में जमा रूपया उनकी मृत्यु के पश्चात केवियटर के जानकारी के बिना धोखे से निकाल लिया है। आवेदकगण धोखे, सही तथ्यों को छिपाकर यह प्रावेट आवेदन जो दाखिल किया गया है, खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

5. इंटरभेनर विपक्षी उदय कुमार गुप्ता, जो स्व0 रामानंद गुप्ता और स्व0 धर्मशीला देवी उर्फ धर्मशीला गुप्ता के पुत्र हैं, के द्वारा 23.04.2005 को लिखित कथन दाखिल करते हुए कथन किया है कि यह स्वत्व प्रोवेट वाद, पोवेट वाद संख्या 150 / 2004 से से उत्पन्न है, जो श्रीचंद प्रसाद द्वारा दिनांक 30.03.2004 को निष्पादित एवं 10.05.2004 को सुलोचना गुप्ता, डॉली गुप्ता और अनीता गुप्ता के पक्ष में पंजीकृत वसीयत पर आधारित है। वसीयतकर्ता इंटरभेनर के नाना थे। स्व0 श्रीचंद प्रसाद फुलवारी पंचायत के मुखिया और स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों से गहराई से जुड़े हुए थे। स्व0 श्रीचंद प्रसाद की तीन पत्नियां थी और पहली पत्नी से उनकी केवल एक पुत्री धर्मशिला देवी थी, जबकि दूसरी पत्नी से उनके तीन पुत्र प्रेम प्रकाश गुप्ता, अमर प्रकाश गुप्ता और शांति प्रकाश गुप्ता तथा एक पुत्री विमला देवी थी। तीसरी पत्नी से तीन पुत्र स्व0 धर्म प्रकाश गुप्ता, स्व0 विनय प्रकाश गुप्ता और स्व0 भानु प्रकाश गुप्ता तथा एक पुत्री स्व0 आशा लता गुप्ता थीं। श्रीचंद प्रसाद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और अपनी अन्य गतिविधियों के साथ–साथ

वे दूरदृष्टि वाले एक सफल व्यवसायी थे और उन्होंने अपनी आय से संपत्ति अर्जित की थी। स्व0 श्रीचंद प्रसाद ने अपनी दूसरी और तीसरी पत्नी के पुत्रों को भी व्यवसाय में स्थापित किया था, जिसके लिए उन्होंने 1980 के दशक में और लगभग 1990 या उससे पहले दूसरी पत्नी के पुत्रों को धनराशि दी थी। श्रीचंद प्रसाद को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनकी दूसरी पत्नी शिवलगनी देवी से उनके सबसे छोटे पुत्र शांति प्रकाश गुप्ता ने उसी इलाके की एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म हिंदू से बदलकर मुस्लिम कर लिया और मतदाता सूची में अपना नाम फिरोज खान दर्ज करा लिया। श्रीचंद प्रसाद का अपनी दूसरी पत्नी के पुत्रों से बहुत पहले से ही कोई संबंध नहीं था, क्योंकि तीनों पुत्र प्रेम प्रकाश, अमर प्रकाश और शांति प्रकाश ने अलग होकर अपना–अपना व्यवसाय शुरू कर दिया और अपने पिता श्रीचंद प्रसाद को घर से निकाल दिया। तब से लेकर अपनी मृत्यु तक श्रीचंद प्रसाद ने प्रेम प्रकाश, अमर प्रकाश और शांति प्रकाश और उनके परिवार से कभी मुलाकात नहीं की। श्रीचंद प्रसाद अपनी तीसरी पत्नी समुदरी देवी के पुत्रों और उनके खुंट के सभी परिवार के सदस्यों अर्थात धर्म प्रकाश गुप्ता, विनय प्रकाश गुप्ता और भानु प्रकाश गुप्ता, सुषमा गुप्ता, सुलोचना गुप्ता और डॉली गुप्ता और आनंद प्रकाश गुप्ता की पत्नी अनीता गुप्ता के साथ अपने अंतिम समय तक रहे। इन सभी ने श्रीचंद प्रसाद की दैनिक दिनचर्या, उचित देखभाल, भोजन आदि सभी प्रकार से सेवा की और यहां तक कि श्रीचंद प्रसाद के अंतिम संस्कार के समय भी उनकी दूसरी पत्नी के पुत्रों ने किसी भी प्रकार से भाग नहीं लिया। पोते अभिषेक गुप्ता ने श्रीचंद प्रसाद को मुखग्नि दी और सभी अंतिम संस्कार और अनुष्ठान तीसरी पत्नी समुदरी देवी के पुत्रों और परिवार द्वारा संपन्न किया गया। उनका आगे कथन है कि यह सत्य और सही है कि स्व0 श्रीचंद प्रसाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में

अपनी दो बहुओं डाली गुप्ता और सुलोचना गुप्ता तथा पौत्रबुध अनीता गुप्ता के पक्ष में अपनी वसीयत बनाई थी। वे अपनी मृत्यु से दो साल पहले वृद्धावस्था और हाथों के कांपने के कारण बहुत कमजोर हो गए थे, जिसके कारण वे लिख नहीं पाते थे और इसी कारण वे पहले से हस्ताक्षरित बियरर चेक से अपनी पेंशन प्राप्त करते थे। स्व0 श्रीचंद प्रसाद के श्राद्ध के दौरान उनका लकड़ी का बक्सा खोला गया और प्रश्नगत वसीयतनामा के साथ पूर्व हस्ताक्षरित बैंक निकासी/चेक बरामद किए गए। विचाराधीन वसीयतनामा नामित लाभार्थियों के पक्ष में प्रमाणित किया जाता है तो आवेदक को कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर इस वाद में निम्नलिखित वाद बिन्दुओं का निर्धारण किया गया हैः–

   i. क्या जिस प्रकार यह वाद लाया गया है वह पोषणीय है?
   ii. क्या आवेदकगण (वादीगण) को यह वाद (प्रोवेट वाद) लाने का वैध कारण मौजूद है?
   iii. क्या यह वाद विरोध, अभिवचन एवं आपत्ति के सिद्धांत से बाधित है?
   iv. क्या दिनांक 30.03.2004 का निष्पादित बसीयत जाली एवं बनावटी दस्तावेज है?
   v. क्या दिनांक 30.03.2004 के बसीयत के आधार पर वादीगण प्रोवेट का आदेश पाने का अधिकारी है?
   vi. क्या वादीगण वादपत्र में मांगे गए अनुतोष को पाने की अधिकारी है?

7. वादीगण (आवेदकगण) की ओर से अपने प्रोवेट वाद के समर्थन में कुल 07 मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत करके साक्ष्य कराया गया है जो क्रमशः निम्नलिखित हैं–

1. आनंद प्रकाश गुप्ता (वादी संख्या–3 के पति)
2. विनोद कुमार (पहचानकर्ता)
3. अनुप कुमार (अनुप्रमाणक साक्षी)
4. अनिता गुप्ता (आवेदिका वादी संख्या–3)
5. ललन प्रसाद (दस्तावेज लेखक)
6. विवेक गुप्ता
7. रामप्रवेश रजक

आवेदकगण (वादीगण) की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य को प्रस्तुत करके प्रदर्श अंकित कराया है जो निम्नलिखित हैं–

प्रदर्श–1	बसीयतनामा दिनांक 30.03.2004 पर साक्षी संख्या–2 विनोद कुमार का हस्ताक्षर
प्रदर्श–2	बसीयतनामा दिनांक 30.03.2004 पर साक्षी संख्या–2 विनोद कुमार का हस्ताक्षर
प्रदर्श–3	बसीयतनामा दिनांक 30.03.2004 पर साक्षी संख्या–2 विनोद कुमार का हस्ताक्षर
प्रदर्श–4	बसीयतनामा दिनांक 30.03.2004 पर अनुज कुमार का हस्ताक्षर
प्रदर्श–5	बसीयतनामा दिनांक 30.03.2004 पर शफी अहमद का हस्ताक्षर
प्रदर्श–6	बसीयतनामा के अंतिम पृष्ठ पर टंकक नीरज प्रियदर्शी सोनी का लघु हस्ताक्षर
प्रदर्श–7	बसीयनामा दिनांक 30.03.2004
प्रदर्श–8	प्रोवेट आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता कौशल किशोर का लघु हस्ताक्षर

प्रदर्श–9	प्रोवेट आवेदन पर अनिता गुप्ता का हस्ताक्षर
प्रदर्श–9/1	प्रोवेट आवेदन पर सुलोचना गुप्ता का हस्ताक्षर
प्रदर्श–9/2	प्रोवेट आवेदन पर डौली गुप्ता का हस्ताक्षर
प्रदर्श–10	प्रोवेट आवेदन के शपथ पत्र पर सुलोचना गुप्ता का हस्ताक्षर

8. विपक्षी (प्रतिवादीगण) ने अपने अभिवचन के समर्थन में कुल 07 मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत करके साक्ष्य कराया है, जो क्रमशः निम्नलिखित हैंः–

प्रतिवादी साक्षी संख्या–1 भरत भूषण

प्रतिवादी साक्षी संख्या–2 अमर प्रकाश गुप्ता (प्रतिवादी)

प्रतिवादी साक्षी संख्या–3 अशोक कुमार गुप्ता

प्रतिवादी साक्षी संख्या–4 प्रेम कुमार चौधरी

प्रतिवादी साक्षी संख्या–5 पंकज प्रकाश गुप्ता

प्रतिवादी साक्षी संख्या–6 विवेक कुमार गुप्ता

वाद बिन्दु संख्या iv एवं v

9. उपरोक्त दोनों वाद बिन्दु आनुषंगिक रूप से एकदूसरे से जुड़े हैं। अतः सर्वप्रथम न्यायालय इन दोनों वाद बिन्दुओं को एक साथ विश्लेषण हेतु लिया जाता है। मामले के तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले, बसीयत की बैधता और निष्पादन से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों को प्रस्तुत करना उचित होगा।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63– विशेषाधिकार रहित बसीयतों का निष्पादनः प्रत्येक बसीयतकर्ता, जो किसी अभियान, में कार्यरत या वास्तविक युद्ध में संलग्न सैनिक नहीं, या इस प्रकार कार्यरत या वास्तविक युद्ध में संलग्न सैनिक न हो, या इस प्रकार कार्यरत या संलग्न वायुसैनिक न हो, या समुद्र में नाविक न हो, अपनी बसीयत का निष्पादन

नियमों के अनुसार करेगा।

(क) बसीयतकर्ता बसीयत पर हस्ताक्षर करेगा या अपना निशान लगाएगा, या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बसीयत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ख) बसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर या चिन्ह, या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, इस प्रकार रखे जाएंगे कि यह स्पष्ट हो जाए कि इसका उद्देश्य लेखन वो बसीयत के रूप में प्रभावी बनाना था।

(ग) बसीयत पर दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक ने बसीयतकर्ता को बसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते हुए देखा हो या किसी अन्य व्यक्ति को बसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर बसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, या बसीयतकर्ता से अपने हस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की हो, प्रत्येक गवाह बसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक से अधिक गवाह एक ही समय में उपस्थित हो, और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 कानून द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाणः यदि किसी दस्तावेज को कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, तो उसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके निष्पादन को सिद्ध करने के उद्देश्य से कम से कम एक सत्यापनकर्ता गवाह को न बुलाया गया हो, यदि कोई सत्यापकर्ता जीवित हो और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम हो।

इस प्रकार ऊपर्युक्त प्रावधानों को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत निर्धारित

आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से पालन कियाजाना चाहिए ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार बसीयत के निष्पादन को सिद्ध किया जा सके।

बसीयत मृतक (बसीयतकर्ता) की संपत्ति को अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति को निष्पादित करने का एवं कानूनी रूप से मान्य तरीका है जिस पर उसकी मृत्यु के पश्चात कार्रवाई की जाती है और इसमें पवित्रता का तत्व निहित है, क्योंकि बसीयतकर्ता, बसीयत की वैधता की जांच के समय, बसीयत के निष्पादन की परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना को समाप्त करने के लिए इसके प्रमाण के लिए बड़े मानदंड वैधानिक रूप से निर्धारित किए गए हैं। न्यायालय को दो पहलुओं पर विचार होगा–

i. क्या बसीयत बसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई है?

ii. क्या यह उसके द्वारा निष्पादित अंतिम बसीयत है?

बसीयत के निष्पादन में संदेह हो तो बसीयतकर्ता, जिसके पक्ष में बसीयत मृतक द्वारा निष्पादित की गई है तो उनकी यह जिम्मेवारी है कि वह बसीयतकर्ता की अंतिम बसीयत के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर करें। ऐसे मामलों में, बसीयतकर्ता पर प्रारंभिक दायित्व अधिक बढ़ जाता है। इसके संबंध में न्यायिक विवेक की कसौटी उन मामलों से निपटने के लिए विकसित की गई है जहां बसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है। इसमें बसीयतकर्ता की बसीयत की विषयवस्तु के साथ–साथ उसके परिणामों, प्रकृति और प्रभाव के बारे में जानकारी, निष्पादन के समय बसीयतकर्ताकी स्वास्थ्य निश्चित और विवेकपूर्ण मानसिक स्थिति और स्मृति पर विचार करना होगा। संदिग्ध परिस्थितियां वास्तविक, प्रासंगिक और वैध होनी चाहिए। प्रोवेट का आवेदन जो लाया है उन्हें यह

साबित करना होगा कि (क) बसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से बसीयत पर हस्ताक्षर किए, (ख) निष्पादन के समय वह मानसिक रूप से स्वस्थ, (ग) वह इसके स्वस्थ और प्रभाव से अवगत था, (घ) बसीयत किसी संदिग्ध परिस्थितियों में निष्पादित नहीं की गई थी।

उभय पक्षों के द्वारा अपने–अपने अभिवचन, मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत कियाउन सभी पर विचार करने के पूर्व उभय पक्षों के द्वारा दाखिल न्याय निर्णयन की प्रति दाखिल की गई है।

वादीगण (आवेदकगण) के द्वारा अपने मौखिक तर्क के साथ कि उनके द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत यह प्रोवेट वाद के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार बसीयत की वैधता को सिद्ध किया है। इसके संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय मीना प्रधान एवं अन्य बनाम कमला प्रधान सिविल अपील 3351/2014 (एस.सी.सी. (सी) 17115/2010 में पारित निर्णय जो एस. सी.आर. 2023 पृष्ठ संख्या 886 की प्रति दाखिल की है।

इसके विपरीत विपक्षीगण (प्रतिवादी) केवियटर) जो बसीयतकर्ता के द्वितीय पत्नी के वंशज हैं उनके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये प्रोवेट वाद गलत, बनावटी एवं संदग्धि स्थिति में लाया गया है और उसके संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है और उसके संबंध में उनके द्वारा मननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में पारित न्याय निर्णयन की प्रति की फोटोप्रति दाखिल किया हैः–

(क) चिन्ना स्वामी एवं अन्य– अपीलार्थीगण बनाम आर0 पुरबगवन एवं अन्य 2024 एस0सी0सी0 ऑन लाइन मद्रास 805

(ख) जनक प्रसाद एवं अन्य– वादीगण/अपीलांट बनावट दी स्टेट ऑफ स्व0 शिबू–प्रतिवादी/उत्तरार्थीगण (प्रथम अपील 180/2005 दिनांक 15.04.2011

पी.एल.जे.आर. 2011(3)

(ग) मटरू नलनी कांत अपीलांट बनाम गंडीवाली प्रसाद (मृतक द्वारा एल. आर.एस.) 2024 एस.सी.सी. 252

स्वीकृत तथ्यः– 1. बसीयतकर्ता शिक्षित, बूढे एवं बीमार व्यक्ति थे।

2. उभय पक्ष श्रीचंद प्रसाद के पुत्र की पत्नी एवं पौत्र की पत्नी है।

3. यह भी स्वीकृत तथ्य है कि बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद हस्ताक्षर करते थे।

10. वाद बिन्दु संख्या iv एवं v :– उपरोक्त दोनों वाद बिन्दु में वादीगण का यह अभिवचन है कि प्रतिस्थापित वादी 1(क,ख,ग) की माता सुलोचना गुप्ता, डौली गुप्ता एवं अनिता गुप्ता जो श्रीचंद प्रसाद के पुत्रगण की पत्नी एवं पौत्र की पत्नी के नाम से बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद 30.03.2004 को बसीयत का निष्पादन किया गया जिसका निबंधन दिनांक 10.05.2004 को किया गया और बसीयतकर्ता की मृत्यु 03.06.2004 को हुई और उन्हें मात्र तीन पुत्र धर्म प्रकाश गुप्ता, विनय प्रकाश गुप्ता और भानु प्रकाश गुप्ता हुए। अभिवचन के अनुसार दिनांक 30.03.2004 को कातिब ललन प्रसाद ने बसीयत को तैयार किया। जिसका टंकन नीरज के द्वारा किया गया और पूर्ण रूप से समझकर उस पर अपना निशान दिया और पहचान विनोद वादी संख्या–2, ने दिया है और श्रीचंद प्रसाद (बसीयतकर्ता) के कहने पर मो0 शफी एवं अनुप कुमार (अनुप्रमाणक साक्षी) ने हस्ताक्षर किया है। उनका यह भी अभिवचन है कि बसीयतकर्ता मृतक श्रीचंद प्रसाद ने 30.03.2004 को बसीयत निष्पादित किया वे बीमार थे इसी कारण बीमारी के पूर्व ही चेक पर हस्ताक्षर करके रखे थे और पैसा बैंक से किसी से निकलवाते थे। इसके विपरीत कि विपक्षीगण (प्रतिवादी पक्ष) ने अभिवचन किया है कि श्रीचंद प्रसाद हस्ताक्षर करते थे और तथाकथित कूटरचित बसीयत जो आवेदक (वादीगण) के पतिगण द्वारा अपने लोगों एवं निबंधन कार्यालय के कर्मचारीगण को मिलाकर उनके निशान लेकर फर्जी

बसीयत तैयार करवा लिया और वादीगण ने प्रोवेट आवेदन 150 / 2004 दाखिल किया, जिसमें विपक्षीकण (प्रतिवादी) केवियेटर) के श्रीचंद प्रसाद के नजदीकी रिश्तेदार के रूप में उनका नाम नहीं दिया। विपक्षीगण के द्वारा दाखिल स्वत्व विभाजन वाद जो वादीगण के पतिगण के विरूद्ध दाखिल किया जिसमें उनके दाखिल लिखित बयान से इस प्रोवेट वाद की जानकारी हुई।

वादीगण के द्वारा अपने प्रोवेट वाद (टेस्टामेंटरी वाद) के समर्थन में प्रस्तुत साक्षी संख्या–1 जो श्रीचंद प्रसाद के पुत्र धर्म प्रकाश गुप्ता के पुत्र है, आवेदिका संख्या–3 के पति हैं, उन्होंने अपने शपथ पर दिये गये मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आवेदक संख्या–2 मेरी चाची है। आवेदक संख्या–1 सुलोचना गुप्ता मेरी चाची थी, उनके मृत्यु के पश्चात प्रतिस्थापित आवेदकगण मेरे चचेरे भाई एवं बहन तथा प्रतिवादीगण हमारे नजदीकी रिश्तेदार हैं। उनका आगे यह भी कहना है कि मेरे दादा श्रीचंद प्रसाद ने अपने जीवनकाल में 30.03.2004 को एक बसीयतनामा निष्पादित किया था जिसका निबंधन 10.05.2004 को हुआ था। मेरे दादा 03.06.2004 को स्वर्गवास कर गये। प्रश्नगत बसीयतनामा मेरे दादाजी के इच्छा के अनुसार हुआ था। आगे कहते हैं कि वर्ष 2003 के दिसम्बर माह से वृद्धावस्था के वजह से शारीरिक रूप से कमजोर हो गये और उनके लिखने की शक्ति समाप्त हो गई थी। अतः प्रत्येक पृष्ठ पर निशान लगा था। उन्होंने पेंशन भी मिलता था। अतः बसीयतनामा के पूर्व ही चेकों पर अग्रिम हस्ताक्षर कर रख दिया था। कंडिका 10 में कहते हैं कि जब इस केस का आवेदन पत्र तैयार किया जा रहा था उस समय मैं वकील साहब के यहां गया था। श्रीचंद प्रसाद का वंशावली आवेदन मैं नहीं लिखाया। कंडिका 13 प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि दिसम्बर 2003 में ही मेरे दादा की तबीयत खराब चल रही थी। दादाजी को डायबीटीज, ब्लप्रेशर और हृदय रोग था। दादाजी का हाथ थरथ्राता था। वे

सेन्सलेस हो गए थे। दादाजी का इलाहाबाद बैंक का खाता फुलवारीशरीफ ब्रांच में था। वे हस्ताक्षर से पैसा निकालते थे। कंडिका 14 में कहते हैं कि उनका जब हाथ थरथरा रहा था तो ईलाज के बाद ठीक हुए तो चेक पर हस्ताक्षर करके रख दिये। कंडिका 16 में कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई कागज या प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि दिनांक 30.03.2004 को श्रीचंद प्रसाद लिखने तथा हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे। कंडिका 17 में कहते हैं कि यह कहना सही है कि बसीयत के प्रारूपकर्ता, गवाह तथा टंकक श्रीचंद प्रसाद के रिश्तेदार नहीं हैं। कंडिका 22 में कहते हैं कि यह कहना सही है कि श्रीचंद प्रसाद अपने तीनों पत्नी से उत्पन्न बच्चों को समान रूप से प्यार करते थे और मानते थे। कंडिका 23 में कहते हैं कि श्रीचंद प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको पेंशन मिलता था। पेंशन उन्हें खाते में जाता था जिसे वे हस्ताक्षर करके निकालते थे। किसी भी बैंक खाते में अंगूठे का निशान नहीं है।

आवेदक साक्षी संख्या–4 अनिता गुप्ता जो स्वयं इस वाद की आवेदिका संख्या–3 हैं उन्होंने अपने शपथ पर दिये गये मुख्य परीक्षण में अपने अभिवचन का समर्थन करते हुए प्रोवेट आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता के हस्ताक्षर को प्रदर्श–8 एवं आवेदकगण के हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श–9, 9/1 एवं 9/2 अंकित कराया है और शपथ पत्र चाची सुलोचना गुप्ता के हस्ताक्षर को प्रदर्श–10 से अंकित कराया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में कहते हैं कि बसीयत के बारे में मुझे सर्वप्रथम दादाजी के मृत्यु के पश्चात उनके श्राद्धकर्म समाप्त होने के बाद उनके बक्शा को जब खोला गया तो उसी समय बसीयत की जानकारी हुई। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में कहती है कि मेरे दादा ससुर को बी0पी0, सुगर एवं हाथ कांपता था। उनका कोई अंग कटा–फटा नहीं था। उनको पारालाइज थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका फुलवारीशरीफ के ईलाहाबाद बैंक में खाता था, वहां से वे बैंक खाते से पैसा

चेक पर हस्ताक्षर करके निकालते थे। आज तक कभी उन्होंने बैंक से अंगूठे का निशान देकर पैसा नहीं निकलवाया। मैं ऐसा कोई भी कागज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकती जिससे पता चले कि वे अंगूठे का निशान देते थे। कंडिका 23 में कहती हैं कि यह कहना सही है कि श्रीचंद प्रसाद मरने के पूर्व अपने सभी कागज का निष्पादन हस्ताक्षर करके करते थे।

आवेदक साक्षी संख्या–2 विनोद कुमार जो प्रदर्श–7 जो बसीयत दिनांक 30.03.2004 का है उसके बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद के निशान की पहचान की है और प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श–1, 2 एवं 3 से अंकित कराया है। बसीयतनामा के पृष्ठ 2 पर अनुप कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–4, पृष्ठ संख्या–3 पर मो0 शफी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–5 एवं टंकक नीरज प्रियदर्शी सोनी के लघु हस्ताक्षर को प्रदर्श–6 से अंकित कराया है। संपूर्ण बसीयत को प्रदर्श–7 से अंकित कराया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में कहते हैं कि मैं आनंद प्रकाश गुप्ता के सूचना पर आया हूं। कंडिका 12 में कहते हैं कि कातिब कौन था उनका नाम याद नहीं है। कंडिका 14 में कहते हैं कि श्रीचंद प्रसाद का स्वास्थ्य 30.03.2004 को उतना बढ़िया नहीं था, ओल्ड एज फैक्टर था। कंडिका 16 में कहते हैं कि मैं 5 बजे हस्ताक्ष्र करके चला गया। श्रीचंद प्रसाद की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सामान्य थी। वे मेरी गाड़ी से ही ठीकठाक उतरे। कंडिका 18 में कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि 30.03.2004 को रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई। कंडिका 24 में कहते हैं कि आनंद प्रकाश गुप्ता मेरे मित्र हैं उनसे कपड़ा वगैरह खरीदता हूं। कंडिका 25 में कहते हैं कि मैंने सही कहा है कि श्रीचंद प्रसाद अपने इलाहाबाद बैंक खाते से पेंशन की राशि हस्ताक्षर कर निकालते थे। कंडिका 28 में कहते हैं कि मैं डॉक्टर का ऐसा कोई कागज नहीं देखा जिससे पता चले कि श्रीचंद प्रसाद लिखने में असमर्थ थे।

आवेदक साक्षी संख्या–3 अनुप कुमार जो बसीयत प्रदर्श–7 के अनुप्रमाणक साक्षी हैं जिन्होंने अपने हस्ताक्षर को पहचान की है और बीसयत का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में कहते हैं कि 30.03.2004 को मैं अपने निबंधन कार्यालय गयाथा। श्रीचंद प्रसाद की स्थिति उस समय सामान्य थी, ठीकठाक थे। श्रीचंद प्रसाद को कोई बीमारी या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। थोड़ा–बहुत चल–फिर करते थे। कंडिका 9 में कहते हैं कि श्रीचंद प्रसाद टंकक को क्या निर्देश दे रहे थे मैंने नहीं सुना। कंडिका 10 में कहते हैं कि बसीयत मैंने देखा नहींथा। सिर्फ चाचाजी के कहने पर अपना हस्ताक्षर किया। श्रीचंद प्रसाद पढ़े–लिखे थे या नहीं मैं नहीं बता सकता। मुझे पता नहीं कि श्रीचंद प्रसाद हस्ताक्षर करते थे या नहीं। कंडिका 16 में कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता कि श्रीचंद प्रसाद हस्ताक्षर करने में सक्षम थे या नहीं। जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया उस पर श्रीचंद प्रसाद का अंगूठा का निशान मेरे सामने लगाया। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 में कहते हैं कि श्रीचंद प्रसाद के व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार के बारे में नहीं जानता हूं।

वादी साक्षी संख्या–6 विवेक कुमार गुप्ता जो बसीयतकर्ता के पौत्र हैं उन्होने अपने शपथ पर दिये गये मुख्य परीक्षण में वादीगण के अभिवचन का समर्थन किया लेकिन प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में कहते हैं कि बसीयतनामा 30.03.2004 का है मैंने पहली बार बसीयतनामा को 30.03.2004 को घर पर देखा था। बसीयतनामा मेरे पिताजी स्व0 विनय प्रकाशगुप्ता ने लिखाया था। जो बसीयत हमको पिताजी ने दिखाया वह पिताजी के कब्जे में थे। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में कहते हैं कि दिसम्बर 2003 के पहले वह चेक पर पहले से ही हस्ताक्षर करके रखते थे वहीं हमें दिया करते थे पेंशन निकालने के लिए। कंडिका 16 में कहते हैं कि अंगूठा का निशान देकर दादाजी कभी पैसा नहीं निकाले। कंडिका 18 में कहते हैं कि मेरे पास प्रमाण

है कि वह हस्ताक्षर पूर्व से करके रखते थे न्यायालय में प्रमाण दाखिल करूंगा। आंगे कंडिका 20 में कहते हैं कि मैंने इस वाद में अपने फुआ को पक्षकार नहीं बनाया। मैंने इस वाद में श्रीचंद प्रसाद के अन्य वारिस को पक्षकार नहीं बनाया। कंडिका 28 में कहते हैं कि दिसम्बर 2003 के बाद श्रीचंद प्रसाद स्वयं बैंक जाते थे और हस्ताक्षर करके पैसा निकालते थे।

वादी साक्षी संख्या–7 राम प्रवेश रजक ने अपने शपथ पर दिये गये मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि श्रीचंद प्रसाद काफी जिंदा दिल एवं सामाजिक इंसान थे। मैं सुना था कि श्रीचंद बाबू ने तीन शादियां की थी। ऐसा मैंने उनसे सुना परन्तु वो बताते थे कि पहली दोनों पत्नी के पुत्र एवं पौत्रगण हमसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। वे यह भी बताते थे कि पहली दोनों पत्नी से जो मेरे बेटे हैं सबको मैंने पैर पर खड़ा कर दिया लेकिन वे लोग मुझे पूछते नहीं थे। श्रीचंद बाबु कमजोर वो लाचार हो गये थे इस कारण वे लिख नहीं पाते थे। उनके दोनों हाथ कांपने लगे। कंडिका 15 में कहते हैं कि श्रीचंद प्रसाद के बसीयत लिखने से हमको कोई सरोकार नहीं था। मैंने बसीयत नहीं देखा था। कंडिका 19 में कहते हैं कि शपथ पत्र वकील साहब तैयार कि थे मैंने हस्ताक्षर किया।

11. प्रतिवादीगण केवियेटर की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में प्रतिवादी साक्षी संख्या–1 भरतभूषण जो बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद के नाती हैं उन्होने भी अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि श्रीचंद प्रसाद की तीन पत्नी थी और तीनों से संतान थी। इसका पूर्ण विवरण उन्होंने मुख्य परीक्षण में दिया है और यह भी कथन किया है कि वे अपने संपूर्ण जीवन काल में सभी कार्य हस्ताक्षर कर निष्पादित करते थे। उनकी मृत्यु जून 2004 में 94 वर्ष की अवस्था में हो गई। कंडिका 7 में उनका कथन है कि मुझे या मेरी मां को इस वाद का नोटिस नहीं प्राप्त कराया गया और न ही मुझे या मेरी मां को स्व0 श्रीचंद प्रसाद के

नजदीकी रिश्तेदार के रूप में दर्शाया गया। इस वाद के वादीगण स्व0 श्रीचंद प्रसाद के वारिसगण का नाम छुपा कर यह वाद दुर्भावना से लाया गया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 21 में कहते हैं कि हमने कोई जांच पड़ताल इस बात का नहीं किया कि मेरे नाना के जगह किसी दूसरे का जाली फरेबी अंगूठा लगाकर कागज तैयार किया गया जिस कागज को मैं जाली फरेबी कह रहा हूं उसकी सत्यता की जांच हेतु कभी रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर जांच—पड़ताल नहीं किया।

प्रतिवादी साक्षी संख्या—2 अमर प्रकाश गुप्ता जो इस वाद के प्रतिवादी हैं। उन्होंने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि श्रीचंद प्रसाद मेरे पिताजी थे। उन्होंने मुख्य परीक्ष्उण में अपने पिता के तीनों पत्नी से हुए सभी संतानों के संबंध में पूर्ण विवरण दिया है और आगे यह भी कहते हैं कि वह पूरी जिंदगी सभी कार्य अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित करते थे। कंडिका 3 मुख्य परीक्षण में कहते हैं कि वाद के वादीगण ने स्व0 श्रीचंद प्रसाद के अन्य वारिसों तथा नजदीकी रिश्तेदारों का नाम छिपा कर वाद दाखिल किया है और जब हम तीनों भाइयों को पता चला तो हम लोगों ने आवेदन दाखिल कर विरोध पत्र दाखिल किये। कंडिका 5 में कथन किया है कि तथाकथित बसीयत दिनांक 30.03.2004 एक जाली और बनावटी है जिस पर मेरे पिता जी के बांये हाथ के अंगूठे का निशान नहीं है। वे पूरी जिंदगी अपना कोई भी कागजी काम का निष्पादन हस्ताक्षर कर करते थे तथा अंतिम समय तक बैंक से पैसा हस्ताक्षर कर निकालते या निकलवाते थे। कंडिका 6 में कथन करते हैं कि बसीयत दिनांक 30.03.2004 वादीगण के पति जाल कर बनाए और दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर पहचानकर्ता को मेल में लाकर निष्पादित करवाए। पहचानकर्ता आनंद प्रकाश गुप्ता के मित्र हैं। कंडिका 18 में कहते हैं कि शांति प्रकाश गुप्ता ने मुस्लिम लड़की से शादी कब किया यह नहीं पता है। अंदाज से भी नहीं

कह सकते हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 22 में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि जब छोटे भाई शांति प्रकाश गुप्ता ने मुस्लिम धर्म अपनाया और मुस्लिम लड़की से शादी की उसी समय पिताजी ने हमलोगों को त्याग दिया और हम लोगों ने पिताजी को त्याग दिया। कंडिका 29 में कहते हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे पिताजी को डायविटीज, हार्ट और ब्लडप्रेशर की गंभीर बिमारी थी, जिसका ईलाज डा0 सरजानंद के यहां चलता था। कंडिका 30 में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि दिसम्बर 2003 के ठंढ से पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और हाथ कंपने के कारण उन्होंने अपना दस्तखत करना छोड़ दिया और बैंक से पेंशन निकालने के लिए चेक पर पहले से साईन कर रखे हुए थे। उसी माध्यम से उनका पेंशन मिला था।

प्रतिवादी संख्या–2 अशोक कुमार गुप्ता जो बसीयतकर्ता के पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि श्रीचंद प्रसाद को तीन शादी थी तीनों से संतान थी। वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अपनी मृत्यु तक सभी कार्य हस्ताक्षर से करते थे। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 13 में कहते हैं कि श्रीचंद प्रसाद को दूसरी पत्नी को तीन लड़का एवं एक लड़की हुई। उनके लड़के प्रेम बाबु की शादी छपरा हुई है। बाकी लड़के की शादी के बारे में नहीं जानता हूं। कंडिका 18 में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि प्रेम प्रकाश गुप्ता का मित्र हूं।

प्रतिवादी साक्षी संख्या 3 प्रेम कुमार चौधरी जो श्रीचंद प्रसाद (बसीयतकर्ता) के पड़ोसी हैं। उन्होंने भी अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वे पढ़े–लिखे व्यक्ति थे तथा वे गांव के मुखिया थे। 2000 के लगभग तक वे दुकान पर बैठते थे। दुकान पर हमेशा लिखते–पढ़ते थे तथा दस्तखत करते थे। उन्होंने श्रीचंद प्रसाद की तीन शादी होने के संबंध में मुख्य परीक्षण जो शपथ पत्र है उसका कथन किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान वादीगण ने ऐसा

कोई तथ्य नहीं लाया है जिससे यह साबित हो सके उनकी तीन शादी नहीं हुई थी। कंडिका 28 में कहते हैं कि जिस कागज पर मैंने अपना हस्ताक्षर दिया वह कागज प्रेमजी ने तैयार कराया था।

प्रतिवादी साक्षी संख्या–5 पंकज प्रकाश गुप्ता (प्रतिवादी) पंकज प्रकाश गुप्ता के पुत्र हैं उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अपने अभिवचन में किये गये कथनों को विस्तार से वर्णन करते हुए कथन किया है कि इस वाद में वादीगण ने स्व0 श्रीचंद प्रसाद के अन्य वारिसों तथा नजदीकी रिश्तेदारों का नाम छिपाकर प्रोवेट वाद दाखिल किया है और जानबूझकर श्रीचंद प्रसाद का वंशावली अपने आवेदन में नहीं दिया है और बसीयत दिनांक 30.03.2004 एक जाली और बनावटी है, जिसपर मेरे दादाजी के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान नहीं है। वे पूरी जिंदगी अपने सभी कागजात का निष्पादन हस्ताक्षर कर रकते थे। प्रतिपरीक्षण की कंडिका में क्या दादाजी का जो बसीयत पर अंगूठे का निशान है उसका जांच कराया है या नहीं तो साक्षी का उत्तर है, मैंने जांच नहीं कराया है। साक्षी स्वतः कहता है कि दादाजी हस्ताक्षर करते थे। अंगूठा नहीं लगाते थे और दुकान का सारा हिसाब अपने खुद करते थे।

12. अभिलेख के परिशीलन एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने से स्पष्ट होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी ने मौखिक एवं वादीगण के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इंटरभेनर जो उदय कुमार गुप्ता जो श्रीचंद प्रसाद के प्रथम पुत्री के लड़के हैं उन्होंने अपना अभिवचन दाखिल किया, लेकिन उसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि लिखित कथन में दिया है कि वादीगण के पक्ष में प्रोवेट स्वीकृत किया जाय। अभिलेख परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रदर्श–7 जो मूल निबंधित बसीयत है जिसका निष्पादन दिनांक 30.03.2004 को हुआ है और बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद की मृत्यु दिनांक 03.06.2004 को हुई है जो प्रदर्श–12 से स्पष्ट होता है। प्रदर्श–7

का निबंधन दिनांक 10.05.2004 को हुई है। प्रदर्श–7 का निबंधन दिनांक 10.05.2004 को निबंधन कार्यालय पटना में किया गया है। प्रदर्श–7 मूल बसीयत के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उस पर बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद का निशान है जिसका पहचान साक्षी संख्या–2 के द्वारा किया गयाहै और निष्पादक साक्षी के रूप में साक्षी संख्या–3 अनुप कुमार एवं मो0 शफी के द्वारा किया गया है। साक्षी संख्या–2 विनोद कुमार (पहचानकर्ता) ने बसीयत प्रदर्श–7 पर अपने हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श–1, 2 एवं 3 से अंकित कराया है। अनुप्रमाणक साक्षी अनुप कुमार के साक्ष्य को प्रदर्श–4 एवं मो0 श्फी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–5 से अंकित कराया है। स्वयं अनुप कुमार जो अनुप्रमाणक साक्षी है जो साक्षी संख्या–3 के रूप में अपना साक्ष्य दिया है। उन्होंने बसीयत पर अपने साक्ष्य की पहचान की है, लेकिन कंडिका 10 में कहते हैं कि मैं बसीयत देखा नहींथा, केवल हस्ताक्षर किया था। प्रदर्श–7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसका निष्पादन 30.03.2004 को किया गया और उसका निबंधन 01.05.2004 को कराया गया है उसके पश्चात 23 दिनों के बाद बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना से यह स्पष्ट है कि मृतक श्रीचंद प्रसाद एक पढ़े–लिखे व्यक्ति थे और अपने स्वयं के सभी कार्य हस्ताक्षर कर करते थे। प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन में जब इस अभिवचन को लाया कि श्रीचंद प्रसाद मृत्यु के पश्चात दिनांक 01.04.2004 को अपने सेवानिवृत मित्र प्रो0 सहदेव लाल के नाम से हस्ताक्षर करके इलाहाबाद बैंक का चेक निर्गत किया था और 12.05.2004 को मूल आवेदिका संख्या–1 सुलोचना गुप्ता के पुत्र विवेक प्रसाद के पक्ष में भी हस्ताक्षर के साथ चेक निर्गत किया है लेकिन 30.03.2004 के बसीयत प्रदर्श–7 पर निशान है। इसके संबंध में वादीगण द्वारा संशोधन के द्वारा कंडिका 3ए लाया है जिसे उन्होंने यह अभिवचन किया कि वे बीमारी से स्वस्थ हुए तो

उन्होंने सादा चेक पर हस्ताक्षर करके रख दिया था, जिससे पेंशन का पैसा निकाला जाता था। इस प्रकार स्वयं वादीगण के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि दिनांक 30.03.2004 के पश्चात भी उनके हस्ताक्षर से इलाहाबाद बैंक से पैसे की निकासी की गई है।

जहां तक प्रदर्श–7 ही एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर बसीयतकर्ता का निशान है। स्वयं वादी साक्षी संख्या–1 जो वादी साक्षी संख्या–3 के पति हैं, उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यहां तक कहा है कि उनके लिखने की शक्ति समाप्त हो गई थी। कंडिका 13 प्रतिपरीक्षण में कहा है कि दादाजी का इलाहाबाद बैंक का खाता फुलवारीशरीफ ब्रांच मेंथा। वे हस्ताक्षर से पैसा निकालते थे। कंडिका 14 में कथन किया कि ईलाज के बाद जब ठीक हुए तो चेक पर हस्ताक्षर कर रख दिए। कंडिका 13 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वे सेन्सलेस हो गए थे। कंडिका 16 में कथन किया है कि मेरे पास ऐसा कोई कागज नहीं है दिनांक 30.03.2004 को श्रीचंद प्रसाद हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे। इसी प्रकार साक्षी संख्या–2 विनोद कुमार ने भी अपने साक्ष्य की कंडिका 28 में कथन किया है कि मैंने डॉक्टर का ऐसा कोई कागज नहीं देखा है जिससे पता चले कि श्री चंद प्रसाद लिखने में असमर्थ थे। ऊपर के साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना से स्पष्ट हो गया है कि मृतक बसीयतकर्ता श्रीचंद प्रसाद की तीन शादी थी लेकिन आवेदिकागण (वादीगण) ने अपने प्रोवेट आवेदन में केवल तीसरी पत्नी के लड़को जो वादीगण के पतिगण हैं, का जिक्र किया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जनक प्रसाद और अन्य बनाव स्व0 शिबु महतो के संपत्ति से संबंधित न्यायनिर्णयन जो अपील संख्या–180 / 2005 दिनांक 15.04. 2011 पी0एल0जे0आर0 (3) पृष्ठ संख्या 644 से 649 के निर्णय की प्रति दाखिल किया गया है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि भारतीय

उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को बसीयतकर्ता के रिश्तेदारों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कानून के सुस्थापित सिद्धांत माननीय न्यायालय द्वारा वारिसगण का नाम नजदीकी रिश्तेदार के रूप में नहीं देना एवं संदिग्ध परिस्थिति को इंगित करता है।

प्रदर्श–7 जो पंजीकृत बसीयत है, के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि बसीयत में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृतक बसीयतकर्ता जो पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं और उन्हें तीन पत्नी और तीनों पत्नी से संतान है तो प्राकृतिक वारिसों को उत्तराधिकार से वंचित करने का कारण का उल्लेख नहीं किया जाना, यह एक संदिग्ध परिस्थिति है। इसी प्रकार जैसा ऊपर प्रोवेट आवेदन में यह कहा गया है कि उनके नजदीकी रिश्तेदारा में केवल आवेदक (वादीगण) के पति ही नजदीकी रिश्तेदार है, जानबूझकर प्रतिवादियों एवं इंटरभेनजर आवेदक उदय प्रसाद गुप्ता का उल्लेख नहीं किया गया है, यह भी एक संदिग्ध परिस्थिति है। यहां यह मुख्य प्रश्न है कि बसीयत वादीगण द्वारा जाली तैयार की गई है, ऐसी परिस्थति में विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार सत्यापित की गयी थी और निष्पादन के समय बसीयतकर्ता स्वस्थ मन का था। वादीगण वो न्यायालय के समक्ष विवेक संयत संदग्धि परिस्थितियों की व्याख्या करनी थी। इस मामले में ऊपर 3 जो विभिन्न संदग्धि परिस्थितियों के अतिरिक्त मुख्य संदिग्ध तथ्य यह है कि बसीयतकर्ता संपूर्ण जीवन में केवल हस्ताक्षर करके अपने सभी कार्य निष्पादित करते थे यहां तक कि बसीयत के पश्चात भी उनके द्वारा चेक के माध्यम से पैसे की निकासी बैंक द्वारा की गई है लेकिन दिनांक 30.03.2004 को तथाकथित बसीयत प्रदर्श–7 पर बसीयतकर्ता का निशान है, इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रदर्श–7 में नहीं किया गया है और प्रदर्श–7 का जो निबंधन निष्पादन के लगभग 45 दिन बाद

किया गया है उसमें भी न निबंधन कार्यालय के निबंधक द्वारा भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बसीयतकर्ता ने क्यों निशान दिया और निष्पादन एवं निबंधन में भी 45 दिन के अंतर के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रावेट आवेदन में नहीं दिया गया है और न तो उस पर कोई साक्ष्य लाया गया है, बल्कि साक्षी संख्या–3 अनुप कुमार जो अनुप्रमाणक साक्षी है, उनके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में कहते हैं कि श्रीचंद प्रसाद की उम्र सामान्य स्थिति वे ठीकठाक थे तो वादीगण को यहां अभिवचन कि बीमारी के कारण 30.03.2004 को निबंधन नहीं हुआ और निष्पादन के 45 दिन बाद 10.05.2004 को किया गया जो बसीयत के संबंध में संदिग्ध परिस्थिति उत्पन्न करता है और निबंधन के लगभग 22 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। बसीयत में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि श्रीचंद प्रसाद की तीन शादी थी और तीनों शादी से संतान भी थे लेकिन केवल तीसरी पत्नी के पुत्र एवं पौत्र की पत्नी को यह बसीयत निष्पादित किया गया है तो अन्य संतानों को किस परिस्थिति में अपनी संपत्ति को एक पत्नी के वंशजों को अपना स्वत्व निष्पादित करने के संबंध में बसीयत किया गया है जबकि वादी संख्या–1 जो वादी संख्या–3 के पति एवं श्रीचंद प्रसाद के पुत्र उनका अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 22 में कथन किया है कि यह कहना सही है कि श्रीचंद प्रसाद अपने तीनों पत्नियों से उत्पन्न बच्चों को समान रूप से प्यार करते थे और मानते थे।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचना के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि वादीगण इस विवादक को साबित करने में असफल रहा है कि मृतक श्रीचंद प्रसाद के द्वारा 30.03.2004 को निष्पादित बसीयत जिनका निबंधन 10.05.2004 को हुआ है, वह श्रीचंद प्रसाद का वह अंतिम इच्छा पत्र था।

13. अन्य विवादकः– ऊपर किए गए विवचनाओं के आधार पर यह निर्णीत हो गया है कि उपरोक्त मुख्य बिन्दु वादीगण के विरूद्ध निर्णीत हो चुके हैं। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई मंतव्य देना न्यायालय आवश्यक नहीं समझती है। अतः शेष विवादक बिन्दु i, ii, iii एवं vi तद्नुसार निष्पादित किया जाता है।

14. इस तरह अभिलेख के अवलोकन तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि प्रोबेट आवेदन को नियमानुसार आवेदकगण साबित करने विफल रहे हैं। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल इस प्रोबेट वाद को खारिज किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित

(राकेश कुमार–1)
जिला न्यायाधीश–प्रथम
सह
विशेष न्यायाधीश, सीबीआई–3
पटना
दिनांकः– 22.07.2026

(राकेश कुमार–1)
जिला न्यायाधीश–प्रथम
सह
विशेष न्यायाधीश, सीबीआई–3
पटना।
दिनांकः– 22.07.2026

निर्णय/आदेश की तिथि	22.07.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	19.06.2026
अपलोडिंग तिथि	28.07.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक